न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 166/2015

उनवान

1 अजित सिंह पिता राज सिंह राजपूत नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

————————(प्रार्थी)

बनाम

1. गणेश पिता परसा जाट नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. कल्याण पिता नाम नामालूम ब्राहमण नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. नेतराम पिता कल्याण ब्राहमण नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. मांगी लाल पिता सुखलाल ब्राहमण नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. रामपाल पिता बालु बलाई नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. राधाकिशन पिता बालु बलाई नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. सीताराम पिता बालु बलाई नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. मदन पिता बालु बलाई नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 05.04.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.03.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम महुआखुर्द पटवार मण्डल महुआखुर्द भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 3 के आ0न0 18, 19, कुल किता 2 कुल रकबा 11–18 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.03.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 9 ने कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी गण की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निंविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

ग्राम महुआखुर्द पटवार मण्डल महुआखुर्द भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 3 के आ0न0 18, 19, कुल किता 2 कुल रकबा 11–18 बीघा** की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेडा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 1200/– रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड